तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 2039/ 2002 / बीकानेर** **राजस्थान सरकार बनाम झूरराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक ।
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–5 व 6 जरिये वारीसान

——

आदेश

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय कलेक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 26–3–02 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 16–6–79 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के समक्ष दावा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 125, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादी सांवरागांव के पुश्तैनी निवासी कृषि पेशा व्यक्ति है। ग्राम सेवाडा की पुश्तैनी कब्जाकाश्त की भूमि पर आज भी कब्जा है। विवादित क्षेत्र जैसलमेंर राज्य का हिस्सा था जहां कभी सर्वे नहीं हुआ। कभी रिकोर्ड नहीं बना एवं न ही तत्समय खसरे जात थे। लगान फसल के रूप में कुला प्रणाली से लिया जाता था। राज्यों के विलीनीकरण के समय सेवडा ग्राम जैसलमेंर जिले से निकाला जाकर बीकानेर जिले में शामिल किया गया। क्षेत्र में संवत् 2012 में सर्वप्रथम समरी सेटलमेंट हुआ। समरी सेटलमेंट का रिकोर्ड गांव में पूछताछ करके अंदालीया माप तोल के आधार पर तैयार किया गया। अंदाजीया में वादीगण के कब्जाकाश्त में 575 बीघा (100 हल) भूमि थी जिसमें से 321 बीघा भूमि 19 बिस्वा भूमि तो उनके नाम अंकित कर दी व शेष 78 बीघा 1 बिस्वा जो खसरा नंबर 126 में है, को बंदोबस्त अधिकारियों ने आराजी राज अंकित कर दिया जो उनके अधिकार क्षेत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 2039/ 2002 / बीकानेर** **राजस्थान सरकार बनाम झूरारराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में नहीं था। वादीगण विवादित भूमि के एडमिटेड टिनेंट है जो ट्रेसपासर की तारीफ में नहीं आते। संबंधित तहसीलदार ने दिनांक 10–1–79 को बेदखली की धमकी देने पर वादकरण उत्पन्न हुआ। अतः वाद डिक्री किया जाकर टिनेंट घोषित करते हुये रिकोर्ड में गैरखातेदार दर्ज किया जावे। सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने दिनांक 29–6–82 को खसरा नंबर 126 की 78 बीघा 1 बिस्वा वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दे दिये। उक्त आदेश नियम विरूद्ध होने के कारण तहसीलदार के रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 26–3–2002 से अभिशंषा करते हुये अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज को निरस्त करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया गया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार राजकीय भूमि है। जिसे नियम विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2034 से 37 में भूमि आराजी राज, संवत् 2036 में कुल खसरे की 110 बीधा भूमि में से क्रमशः 50 बीघा श्री हरदेवाराम व 43 बीघा 10 बिस्वा श्री अर्जनराम को अस्थाई आवंटन हुई। जैसाराम की नाजायज काश्त का नोट है। केवल एक वर्ष में कुछ भू भाग पर अतिक्रमण अप्रार्थीगण कोई अधिकार हासिल नहीं करवा सकता। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में राजकीय भूमि दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कहा कि राज्यों के विलीनीकरण के समय सेवडा ग्राम जैसलमेंर जिले से निकाला जाकर बीकानेर जिले में शामिल करने पर क्षेत्र में संवत् 2012 में सर्वप्रथम समरी सेटलमेंट हुआ। समरी सेटलमेंट का रिकोर्ड पूछताछ करके अंदाजीया माफ तोल के आधार पर तैयार किया गया। अंदाजीया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 2039/ 2002 / बीकानेर** **राजस्थान सरकार बनाम झूरारराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में वादीगण के कब्जाकाश्त में 575 बीघा (100 हल) भूमि थी जिसमें से 321 बीघा भूमि 19 बिस्वा भूमि तो उनके नाम अंकित कर दी व शेष 78 बीघा 1 बिस्वा जो खसरा नंबर 126 में है, को बंदोबस्त अधिकारियों ने आराजी राज अंकित कर दिया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। वादीगण विवादित भूमि के एडमिटेड टिनेंट होने से ट्रेसपासर की तारीफ में नहीं आते। वाद डिक्री किया जाकर अप्रार्थीगण को टिनेंट घोषित करते हुये रिकोर्ड में गैरखातेदार दर्ज किया गया है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने दिनांक 29–6–82 को खसरा नंबर 126 की 78 बीघा 1 बिस्वा वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार दिये। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः रेफरेंस खारिज किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया और न्यायालय कलेक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। उपरोक्त के अवलोकन से यह स्थिति निर्विवाद रूप से सामने आती है कि न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश से दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये केवल मौखिक बयानों के आधार पर खसरा नंबर 126 की 78 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर गैर खातेदार घोषित करने का आदेश दिया है। प्रथमतः तो कोलोनाईजेशन एक्ट व टिनेंसी एक्ट में गैर खातेदार घोषित करने का प्रावधान नहीं है तथा द्वितीयतः भू धारक व तहसीलदार कोलायत द्वारा जो वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भेजी गई उस पर गौर नहीं किया गया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20–7–79 में यह अंकित किया था कि खसरा नंबर 126 रकबा 110 बीधा पर 2019 से 2034 तक वादीगण डूंगरराम वगैरह का कोई कब्जाकाश्त मुताबिक रिकोर्ड नहीं रहा। संवत् 2035 में शंकरपुरी पुत्र उदयपुरी द्वारा 25 बीघा एवं वादी नबंर 4 जैसाराम द्वारा 10 बीधा पर अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की जानी गिरदावरी से पाया जाता है। उक्त भूमि आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 2039/ 2002 / बीकानेर** **राजस्थान सरकार बनाम झूरराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राज दर्ज है तथा इनका कब्जा ट्रैसपासर की तारीफ में आता है। संवत् 2019 से 2035 तक वादीगण का मुतनाजा भूमि पर लगान कायम नहीं हुआ है। वक्त बंदोबस्त मुतनाजा भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं पाया गया तथा मौके पर कब्जा नहीं होने से विवादित भूमि आराजीराज दर्ज की गई। इसी प्रकार रिकोर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पुख्ता बंदोबस्त के समय जरिये नोटिस उजरदारी पेश करने का अवसर दिया गया था लेकिन अप्रार्थी/वादीगण ने ऐसी कोई आपत्ति समय सीमा में पेश करने बाबत् कोई प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया। संवत् 2035 में खसरा नंबर 126 की 10 बीधा भूमि पर अंतिक्रमण के इंद्राज से अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने लेण्डहोल्डर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी कर केवल मौखिक गवाही के आधार पर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में रेफरेंस स्वीकार योग्य है। परिणामतः हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये खातेदारी इंद्राज निरस्त किये जाकर वादग्रस्त भूमि पूर्वानुसार राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं और संबधित राजस्व रिकोर्ड से अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये समस्त इंद्राजात विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	